प्रेस नोट- थाना परौर

जनपद शाहजहाँपुर पुलिस

सराहनीय कार्य दिनांक- 09.11.2025

थाना परौर पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य

"परौर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, हत्या के मुकदमे में वांछित दो अभियुक्त गिरफ्तार; घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा व कारतूस बरामद"

श्रीमान पुलिस अधीक्षक, शाहजहाँपुर महोदय के निर्देशानुसार जनपद मे अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदया के निर्देशन में व श्रीमान क्षेत्राधिकारी जलालाबाद के कुशल पर्यवेक्षण एवं प्रभारी निरीक्षक श्री अशोक कुमार सिंह थाना परौर के नेतृत्व में थाना परौर की पुलिस टीम को बड़ी कामयाबी हासिल हुई।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक **05.11.2025** को प्रार्थी **श्री धर्मेन्द्र सिंह पुत्र सिपट्टर सिंह निवासी ग्राम उसावॉ वार्ड 4 थाना उसावां जनपद बदायूँ**, अपने भाई **उमांशकर** तथा चचेरे भाई **विपिन यादव पुत्र श्री उदयपाल यादव** के साथ थाना उपस्थित होकर एक तहरीर दी। तहरीर में उल्लेख किया गया कि दिनांक उक्त को वादी के भाई **अरवेश** के पास अभियुक्त**1.कल्लू पुत्र नेत्रपाल सिंह**, 2.**सोनू पुत्र नेत्रपाल सिंह**, निवासी ग्राम उसावॉ वार्ड 7 थाना उसावां जनपद बदायूँ तथा **एक अज्ञात व्यक्ति**,आए थे। घटनास्थल से लगभग 500 मीटर दूरी पर एक अन्य अज्ञात व्यक्ति भी मौजूद था। इसी दौरान आरोपित सोनू ने कल्लू से कहा कि "मार दो गोली" जिस पर अभियुक्त **कल्लू ने अरवेश पर फायर कर दिया**, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। शोर सुनने पर वादी पक्ष मौके पर पहुँचा, तो अभियुक्तगण उन्हें जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। उक्त तहरीर के आधार पर **मु0अ0सं0 141/2025 धारा 103(1)/351(3) BNS** में अभियुक्त कल्लू, सोनू तथा एक अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया।
आज दिनांक **09.11.2025** को समय करीब **07.00 बजे**, थाना परौर पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त 1. **कल्लू पुत्र नेत्रपाल सिंह**, 2. **सोनू पुत्र नेत्रपाल सिंह**, को **परौर–कलान मार्ग पर कुबेरपुर से कलान की ओर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया।** पूछताछ के दौरान अभियुक्त **कल्लू** की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त **तमंचा व 315 बोर का एक खोखा व एक जिन्दा कारतूस** बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर मुकदमे में सुसंगत धाराओं की वृद्धि करते हुए **आवश्यक विधिक कार्यवाही अमल में लाते हुए, अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।**

गिरफ्तार किये गये अभियुक्तगण का नाम –

1. कल्लू सिहं पुत्र नेत्रपाल सिहं निवासी वार्ड नं0 7 कस्बा व थाना उसावां जनपद बदायूं उम्र करीब 40 वर्ष
2. सोनू पुत्र नेत्रपाल सिहं निवासी वार्ड नं0 7 कस्बा व थाना उसावां जनपद बदायूं उम्र करीब 35 वर्ष।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त –

कल्लू सिहं पुत्र नेत्रपाल सिहं निवासी वार्ड नं0 7 कस्बा व थाना उसावां जनपद बदायूं उम्र करीब 40 वर्ष

- ✓ मु0अ0सं0 141/2025 धारा 103(1) /351(3)/352/3(5) B.N.S.व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना परौर जनपद शाहजहाँपुर

सोनू पुत्र नेत्रपाल सिहं निवासी वार्ड नं0 7 कस्बा व थाना उसावां जनपद बदायूं उम्र करीब 35 वर्ष।

- ✓ मु0अ0सं0 141/2025 धारा 103(1) /351(3)/352/3(5) B.N.S.व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना परौर जनपद शाहजहाँपुर

गिरफ्तारी का स्थान व समयः-

- ✓ दिनांक 09.11.2025 को समय करीब 07.00 बजे, स्थानः- परौर–कलान मार्ग पर कुबेरपुर से कलान की ओर पुलिया के पास से

बरामदगी का विवरणः-

- ✓ घटना में प्रयुक्त **तमंचा व 315 बोर का एक खोखा व एक जिन्दा कारतूस**

गिरफ्तारी करने वाली टीम–

1. प्रभारी निरीक्षक श्री अशोक कुमार थाना परौर जनपद शाहजहाँपुर।
2. उ0नि0 श्री विनय कुमार थाना परौर जनपद शाहजहाँपुर।
3. उ0नि0 श्री जीतू थाना परौर जनपद शाहजहाँपुर।
4. हे0का0 170 अजय कुमार थाना परौर जनपद शाहजहाँपुर।
5. का0 1181 गगन पंवार थाना परौर जनपद शाहजहाँपुर।
6. कां0 1993 नवल चौधरी थाना परौर जनपद शाहजहाँपुर।